RTTP नियम–29(2)(झ)

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा

क्रमांक :प–जि.न्याया./स्था0/दर संविदा/फोटो कॉपी/2018–19/20739 दिनांक 14-12-20

–:: दर संविदा कालावधि अभिवृद्धि आदेश ::–

केन्द्रीयकृत प्रतिलिपि शाखा जिला न्यायालय कोटा में फोटो स्टेट प्रतिलिपियां तैयार करने हेतु अनुमोदित विजयश्री जेरोक्स एवं स्टेशनर्स, न्यायालय परिसर कोटा की संविदा अवधि दिनांक 31.12.2020 को समाप्त होने एवं अनुमोदित प्रदायकर्ता श्री विजय गौड द्वारा उसके टेण्डर की अवधि को वर्ष 2021 में विस्तार देने के लिऐ प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में उल्लेखित कारणों, कोरोना महामारी के चलते आगामी वर्ष हेतु टेण्डर प्रकिया समय पर नहीं हो पाने के कारण एवं उसके द्वारा वर्तमान दर 85 पैसे प्रति ईकाई पर कार्य करने हेतु सहमति के अध्यधीन राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम–2013 के नियम 29(2)(झ) के अनुसार विद्यमान दर संविदा को उसी कीमत (85 पैसे प्रति ईकाई), निबंधनों एवं निविदा में उल्लेखित शर्तों के अनुरूप आगामी तीन माह (01.01.2021 से 31.03.2021) के लिऐ बढाया जाता है।

अतः विजयश्री जेरोक्स न्यायालय परिसर कोटा के प्रतिनिधि श्री विजय गौड को वर्ष 2021 में (दिनांक 01.01.2021 से 31.03.2021 तक) केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा में करारपत्र व निविदा में उल्लेखित शर्तों के अनुरूप दिनांक 01.01.2021 से फोटो स्टेट कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रतिलिपि शाखा में अधिवक्तागण/ पक्षकारान से प्रति पेज भुगतान के संबंध में सामान्य नियम (सिविल एवं दाण्डिक), 2018 के आदेश 6 नियम 5 अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दरें निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है–

प्रथम पेज के लिये **1.50 रू.** एवं द्वित्तीय, तृत्तीय प्रति पेज के लिये **1.00 रू. चार्जेज लिये जावेंगे।** इस प्रकार **प्रथम पेज हेतु** लिये गये चार्ज 1.50 रू. की राशि में से प्रथम पेज के लिये **फोटो स्टेट चार्ज 85 पैसे** व नकल स्टांप के रूप में 65 पैसे चार्ज किये जावेंगे। इसी प्रकार **द्वित्तीय व तृत्तीय प्रति पेज** के लिये नियत 1.00 रू. में से **फोटो स्टेट चार्ज 85 पैसे** व 15 पैसे प्रति पेज नकल स्टांप के रूप में चार्ज किये जावेंगे। **इससे अधिक राशि पक्षकारान/ अधिवक्तागण से वसूल नहीं की जावे।** उक्त दर संविदा कालावधि अभिवृद्धि आदेश **RTTP** नियम–2013 के नियम 29(2)(झ) के अध्यधीन जारी किया गया है।

Checked 14-12-20 AAO

Sd/- 14/12/20

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
कोटा

क्रमांक :प–जि.न्याया./स्था0/दर संविदा/फोटो कॉपी/2018–19/20740-20745 दिनांक 14-12-20

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. श्री विजय गोड, **प्रो0 विजयश्री जेरोक्स एवं स्टेशनर्स, शॉप नं06**, न्यायालय परिसर कोटा को दिनांक 01.01.2021 से आगामी तीन माह के अध्यधीन निरंतर चालू रखने हेतु।
2. प्रभारी अधिकारी, **प्रतिलिपि शाखा**, जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा
3. अध्यक्ष, अभिभाषक परिषद, कोटा
4. **मुख्य प्रतिलिपिकार**, जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा
5. सहायक लेखाधिकारी, जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा
6. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा को SPPP पोर्टल एवं विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।

Sd/- 14/12/20

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
कोटा

E:Officework/ESTB/Inspection_DJM.doc